(ix) RELIFF MEASURES TO FLOOD VICTIMS OF BADAUN AND BAREILLY DISTRICTS

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

बदायूं, बरेली जिले गंगा व रामगंगा व अन्य नदियों की बाढ़ से अनक वर्षों की भांति इस वर्ष भी भयंकर रूप मे प्रभावित हो गए हैं । बाढ़ न बांधों को तोड़ कर विनाश शुरू कर दिया है । अति वर्षा से भी क्षति हो रही है । बाढ़ व अति वर्षा से पीड़ित लोगों गिरे मकानों का पुर्ननिर्माण व फसलों की क्षतिपूर्ति आवश्यक है । तुरन्त भोजन, पुनर्वास, अनाज, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, माचिस वितरण व डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है । नावों की सांख्या बढ़नी चाहिए । बाढ़ पीड़ित लोगों को लगान व कर्जा और तकावी माफ होनी चाहिए और वसूलयाबी रुकनी चाहिए । राज्य सरकार उत्तर प्रदेश तथा बदायूं और बरेली के जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यक राहत कार्य हेतु धन व साधन जुटा कर आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए । राहत कार्य में राजनैतिक दलों व स्वंय-सेवी संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जाय ।

14.41 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

BRAHAMAPUTRA BOADS BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: We now resume further discussion on the Brahmaputra Board Bill.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Sir I thank you for calling me early so that I can go for a meeting.

I am very glad that this Bill has been brought up here to be pased as soon as possible. If any evidence is needed to assure the people of the norther-eastern States of the concern felt for their welfare by all Parties in this as well as in the other House, of Pariament, this Bill is the evidence. It was introduced by the other Government and got passed in the other House. It is now being piloted by this Government in this House.

Now this Bill, when it becomes an Act enables the Government here as well as the State Governments to develop the various resources of Barhmaputra the great river of our country, in various directions for the protction and benefit and progress of the north-eastern States. But my only regret is that the Planning Coimmission did not take time by its forlock which was granted to it by the dissolution of this House and all this period that has elapsed since then, to improve this Bill in the light of the criticisms and observations made in the other House by various parties and also in the ight of the rising needs of this particular area. For instance clause-14 is an obstructive clause rather than a permissive clause helping us a move towards progress. It makes it contingent upon not only the cooperation but also the resources of the State Governments in order that various aspects of the Master Plan, could be implemented. My Hon friend Mr. Varma has done service to this House while driving our attention to the fact that in the preparation of this Master Plan first preference was given only to the protection of that valley from floods and excessive waters from this river, and all other progressive things that ought to be done have been given a secondary place in the provision provided there in Clause 12. If only the Planning Commission and the Irrigation Ministry had taken sufficient care to do some home-work in regard to these matters, they would certainly not have commited this mistake at all. But, unfortunately, we are hard pressed for time—this Government as well as Parliament—because we are so very anxious to get

this Bill pased as soon as possib. and therefore we cannot very well demand that the Government should move amendments here and now to various clauses and in that way cause further delay.

Another defect in the Bill is this. Representation is provided for the States concerned as well as the various Ministries concerned in the Central Government but what about Parliament? Why is Parliament not given any place at all in this particular Board? Surely, Members hailing from States other than the nort-eastern States are also interested in the progres of that valley and they should be elected to this Board; but apart from that, those Members themselves who hail from those States would have got an opportunity of being represented on this Board and they would have been able to make their contribution. But, unfortunately, there is no such provision at all. I hope that at the earliest possible stage, Government would take the opportunity of bringing an Amending Bill later on providing sufficient representation for Members of Parliament and, more especially, for Members of Parliament hailing from those States.

Thirdly I am glad that Rs. 13 crores are being made available for this year for the pupose of this particular Board, but then I want the Government of India to come forward and assure the people of those regions as well as the other parts of the country, that as much money as is needed for the development of this valley would be made available and that financial contraints will not be allowed to stand in the way of development of this Brahmaputra Valley. I wish this Bill itself had been called the Brahmaputra Valley Board Bill. But certainly the object of the Government is to develop that valley in various respects, not only in regard to protection of that valley from the flooded waters of the Brahmaputra but also in regard to development of multi-purposes—dams. irrigation. hydro power, navigation and other beneficial purposes also. In order to be able to develop that area in all these directions, this Bill, when it becomes an Act has got to be re-shaped again completely, so that there would not be unnecessary troubles and disputes between one State and another in that area and between the State Governments and the Centre here. Of course, they have provided here an escape clause saying that if there is any such dispure, all kinds of negotiations will have to be carried on, but in the end the final decision, should be taken by the Government of India. Even then, all that procedure is tortuous and it must be simplified as far as possible.

I want to make one observation. for whatever it is worth, to alert the Planning Commission as well as this particular Irrigation Ministry and the other concerned Ministries also, that it is necessary for them to be continually preparing and revising perspective plans for the development of different valleys and different areas in our country, in regard to every possible development that is needed. Unfortunately, it is not being done. For instance, so far as Defence forces are concerned, they go on preparing these things, long before any kind of contingency arises at all; for fear that any such contingency might arise, they go on preparing their various plans and programmes and keep them ready. In the same way, the Planning Commission was expected to serve the country. But I am afraid, it is not serving just as well as it should, and more especially the concerned Ministry, the Irrigation Ministry. Therefore, I hope my hon. friend, the Minister, will try and give some caution and provide some initiative to his own Ministry.

Finally, I am glad to have had good response from the External Affairs Minister to the suggestion, I made the other day, that the Prime

[Prof. N. G. Ranga]

Minister, the External Affairs Minister, the Irrigation Minister and the Energy Minister should try to bring about some agreement between India, Bangladesh, Bhutan and Nepal in regard to the various developmental aspects of the utilisation of the waters for good and also for protection in Brahmaputra Valley so far as the great Brahmaputra river is concerned. I have written also to the Prime Minister, and I hope my hon. friend, the Minister in charge of this Bill, hailing as he does from Bihar and knowing those conditions much more intimately than we do, would try to give priority to those talks and try to utilise their good offices in order to achieve real agreement between our neighbouring countries.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): I also join with other Members in congratulating the Minister.

Sir, in our country, there are 9 States which are actively involved in water disputes. If you look at the years which have gone by and the national waste we have committed, at least this is a first step towards a national approach to this problem. I hope so. What I would like to ask the hon. Minister is this. Now there are three bodies, independent bodies, to look after the Brahmaputra Valley and its water resources. What will be the fate of these three bodies? Will this Board be an autonomous body? If it is an autonomous body, why should the State have so much power in their day-to-day administration, execution and planning? I am told that these three bodies will be in due course amalgamated or taken away or rescinded. But I do not see any repealing clause in this Bill. Without a repealing clause these three statutory bodies will be functioning there which means that there will be overlapping between various commissions and bodies. That means multiplying the functions which will not be conducive to proper utilisation of this project and the achievements of this body.... (*Interruptions*). That is what I am saying. This is a matter which requires serious consideration by the government.

The third point is that in para 3 of the Statement of Objects and Reasons it is stated that the Government of Assam have been repeatedly representing that the task of tackling the problem of the Brahmaputra River and its tributaries is beyond their resources. If you go through the entire Statement of Objects and Reasons and the clause, the position is the same. More burden is put on the States. May I take you to the last sentence, 'Subject to the condition that the States concerned agree to the sharing of the costs of maintenance of the project...' which, in other words, has put more emphasis on the State taking upon the burden. My submission is that this is not proper and the States will not be able to carry out the work.

Various clauses were examined by the House here and a lot of limitations and conditions are imposed on the function of this Board. That is why I put my first question whether this body is an autonomous body or not. Unless we have an autonomous body, I am afraid, the objects visualised in this Bill may not be achieved.

Regarding the other parts of our nation, I have a suggestion. Autonomous bodies like this should be formed regionwise. As I said earlier, there are 9 States already involved in water disputes—I do not want to go into details—and this is the time we look at them and try to solve them.

I am happy to say that in our Budget, irrigation is classified as a priority sector. Agriculture and irrigation have earmarked 24.8 per cent of the allocation. It is such a good sign. If you want to have an agricultural revolution, a proper utilisation of our natural resources and a proper utilisation of the water resources, we should have a compre-

hensive and similar national approach to these issues. I would request the hon. Minister to clarify certain doubts that I have raised.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश में बाढ़, सूखा, अकाल, ग्रामीण आवागमन और विद्युतीकरण ये प्रमुख समस्यायें हैं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि समस्याओं की प्राथमिकता निश्चित करते हुए इन की ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही बाढ़ के सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए थी । इतनी समस्याओं के होते हुए भी अगर ये दो समस्यायें मान ली जाएं, तो कोई अनुपयुक्त बात नहीं होगी, एक बाढ़ और दूसरा ग्रामीण आवागमन । हर एक गांव को मिलाने के लिए सड़क बनाने की योजना होनी चाहिए और बाढ़ जिसमे कि आज की रिपोर्ट के अनुसार 30 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है या प्रभावित हुई है और करोड़ों लोगों का जीवन त्रस्त हुआ है, हजारों लोग मारे गए और इस के अलावा फसलों का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ, और उस का हिसाब लगाया जाए तो वह अरबों रुपयों में जाकर बैठता है । यदि बाढ़ पर काबू पा लिया होता और बाढ़ के पानी को संचित करने की योजना हमने बनायी होती तो आगे न सूखा होता, न अकाल होता और न कोई और समस्या होती । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि बाढ़ जैसे सबजेक्ट को सेन्टर का विषय नहीं माना गया है । यह उन राज्यों को बांट दिया गया है जिन के पास इतनी रिसोंसेज नहीं हैं कि वे बाढ़ का मुकाबला कर सकें । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा और उन से मांग करूंगा कि जब तक इस बाढ़ के सबजेक्ट को केन्द्र का विषय वह नहीं बनाएंगे पूर्णतया, तब तक इन बाढ़ों पर काबू पाना किसी राज्य की क्षमता के बाहर है, उस की सीमा में नहीं है क्योंकि इसमें इतना रुपया खर्च होता है, इतनी शक्ति लगती है कि राज्य उस को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं । हम यह जरूर कह सकते हैं कि इससे नुकसान होता है लेकिन यह वरदान भी साबित हो सकता है अगर हम उस के उचित उपाय करें । उस पानी को अगर रोका जाए, तो उस से बिजली बना सकते हैं, उस पानी से सिंचाई कर सकते हैं और तब यह इस देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है । मुझे दुःख है कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई, वह या तो आधे हृदय से की गई या केवल दिखावा के लिए मात्र ही की जाती रही और राज्यों के ऊपर इस की जिम्मेदारी डाल दी गई, जिस से यह कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी । मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार का यह बोर्ड बना रहे हैं यह अपने लेविल पर केन्द्रीय सरकार बनाएगी लेकिन मैं यह कहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक बोर्ड बने जो बाढ़ और उस से होने वाले नुकसान की जांच करे और उस के लिए उचित उपाय करे और उन उपायों का कार्यान्वयन करे, जिस से राज्यों को इस से राहत मिल जाए ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । आखिर कुछ तो किया, जिसे बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन हमारे यहां एक परम्परा रही है सरकार की जब बहुत आन्दोलन हों, बहुत ज्यादा कहा सुनी हो और बहुत जरूरी हो जाए, मजबूरी हो जाए, तब उन कामों को किया जाता है । आसाम के लोग बहुत समय से आन्दोलन कर रहे हैं । उन का पिछड़ापन उन को

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

आन्दोलन करने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें जितना पैसा मिलना चाहिए था, जितनी योजनाएं उन के लिए बननी चाहिए थीं, वह योजनाएं नहीं मिली हैं, उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हुई। उनकी तरक्की के रास्ते बंद हैं और वे गरीब हैं। ऊपर से बृह्मपुत्र की बाढ़ उनकी फसलों को भी नष्ट करती है और उनके घरों को भी उजाड़ देती है। दस साल के बाद आज आप यह काम करने जा रहे हैं। अगर हमने यह काम पहले से किया होता तो शायद हमें ऐसे आन्दोलनों का सामना नहीं करना होता। फिर भी आज आपने जो कदम उठाया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।

15.00 hrs.

आपको यह भी सोचना चाहिए था कि जैसे जवाहरलाल नेहरूजी के जमाने में जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे पंजाब और राजस्थान, उनको संतुष्ट रखा जाता था उसी तरह से संतुष्ट करने की प्रवृति आपने असम के मामले में नहीं दिखायी। इसलिए वहां इस प्रकार के आन्दोलन हुए और आज स्थिति भयंकर बन गयी। भगवान को धन्यवाद है कि आज वह स्थिति संभलने जा रही है।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि 1970 से जो बृह्मपुत्र फलड कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड आफ टेकनीकल कंसलटेन्टस, अब बृह्मपुत्र फलड कंट्रोल कमीशन हैं, इन्होंने इन दस सालों में क्या काम किया, इसकी इस बिला में कोई जानकारी नहीं है। उनके किये गये कार्यों के बाब आप काम करना शुरू करेंगे। आप उनकी दी हुई रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं ? उन्होंने अब तक क्या काम किया ! वे दस वर्ष तक में काम पूरा नहीं कर पाये तो आप कितने वर्षों में इस काम को पूरा करेंगे इसकी भी इसमें जानकारी नहीं है। मुझे डर है कि असम सरकार के इन तीनों बोर्ड की तरह से कहीं आप भी दस साल तक काम न करते रहें। कहीं असम के लोगों के साथ यह वैसा ही न हो जैसा कि जब बच्चा रोता है तो उसके मूंह में शहद की चुसनी लगा दी जाती है। उसमें शहद नहीं भी हो तो भी वह उसे चुसता रहता है। आपने इसमें कोई अवधि नहीं रखी है कि एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष में या इतने वर्षों में आप वहां का सर्वे कर लेंगे या मास्टर प्लान बना लेंगे। आपके जो तीन बोर्ड काम कर रहे हैं जिन्होंने तीन वर्ष लगाये हैं इस काम में, उनके काम से भी आपको मदद मिलेगी। ऐसी सूरत में आपको टाइम का उल्लेख करना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आप दस बीस साल इसका सर्वे कराने और मास्टर प्लान बनाने में लगायेंगे।

श्रीमन् जहां तक नदियों की बाढ़ का सम्बन्ध है, मैं चीन की नदी हवांग हो की तरफ ध्यान दिलाऊगा। हवांग हो चीन में ऐसी नदी थी जिसे चीन का शोक कहा जाता था। आज वह नदी शोक से हर्ष में बदल गयी है। उन्होने उसकी बाढ़ पर काबू पा लिया है। मैं चीनवादी नहीं हूं लेकिन यदि कोई काम चीन में अच्छा हो सकता है तो वह हमारे यहां भी हो सकता है इसलिए उसका उल्लेख करने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होने अपनी नदी को गहरा किया। उन्होने हजारों, लाखों लोगों को खुदाई के और बाढ़ के काम में लगाया। आज उनके यहां बाढ़ की विभीषिका समाप्त हो चुकी है। क्या हमारे यहां इस तरह का कोई प्लान है जिससे कि इन बाढ़ों को रोकने के लिए नदियों को गहरा किया जाए ? क्या सरकार ने ऐसा काम करने की कोई स्कीम बनाई है ? आप कहेंगे कि इसके लिए आदमी

कहां से आयेंगे ? मैं कहता हूं कि हमारे यहां युनीवर्सिटीज, कालेजिज और स्कूलों में जो युवक पढ़ते हैं उनको जब तक कि वे सरकारी प्रोजेक्टस में दो वर्ष तक मेनुअल वर्क नहीं कर लें, मेहनत नहीं कर लें तब तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिये जाएं जैसा कि चीन में किया जाता है । स्कूलों और कालेजों के बच्चों को सर्टिफिकेट तब दिया जाए जब वे इस प्रकार के प्रोजेक्टस में काम कर चुके हों । इससे उनको मैनुअल लेबर का ज्ञान होगा, श्रम में उनकी श्रद्धा जागेगी और देश मजबूत होगा और इन बाढ़ों को तीन साल के अन्दर अन्दर हमारे बच्चे बन्द करके आपको दिखा देंगे । वे नदियों को गहरा करने का काम हाथ में ले सकते हैं आप उनको प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं । हो सकता है कि मंत्री जी का अब ध्यान इस काम की ओर जाए । वैसे तो आम तौर से हम जो बात कहते हैं उसको हां और न के फर्क के साथ किया जाता है कितना भी अच्छा सुझाव दिया जाए, उसको चुंकि वह अपोजिशन की तरफ से आया होता है, । इस वास्ते मन में जगह नहीं दी जाती है लेकिन इस में ऐसा नहीं होना चाहिये हम जो सुझाव दे रहे हैं किसी अपोजिशन की भावना से नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव दे रहे है और हम चाहते हैं कि इसको आप स्वीकार कर लें । अगर न करना चाहें तो न करें । कोई पाबन्दी आप पर नहीं है । सरकार में आप बैठे हैं, जैसा आप चाहें कर सकते हैं ।

भारत के पचासों नदियां हैं जिन में भयंकर बाढ़े आती हैं, चाहे वह कावेरी हो गोदावरी हो । हमारे यहां गंगा है, घाघरा है, गंडक है । इन नदियों की बाढ़ों का सामना करना राज्य सरकारों का काम नहीं हो सकता है, यह मैं पहले कह चुका हूं । वे इसको नहीं कर सकती है । पूरे काम को अपने हाथ में लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के लिए भी इसी प्रकार के बोर्ड आपको बनाने चाहिये । घाघरा, गंडक, गंगा कोसी आदि ऐसी नदियों है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जल प्लावित कर देती हैं । शायद कोई तकनीकी कमी है कि जो बांध बनाए भी गए हैं वे भी बरसात में भर जाते हैं, उन में सिल्टिंग बहुत अधिक हो जाता है । इसका ध्यान उनको बनाते समय नहीं रखा गया । आज का ही समाचार है कि पीलीभीत में नानक सागर बांध जो एक बार पहले टूट चुका है, दो ढाई सौ गांवों को नष्ट कर चुका है आज फिर फटने के कगार पर है और छः सात सौ गांव उससे जल प्लावित हो जाएंगे । यह बहुत बड़ा बांध है । एक बार यह फट चुका है । फिर फटने के लिए तैयार खड़ा है । कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार के बोर्डस आप बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी वहां बहने वाली नदियों की बाढ़ों को रोकने के लिए भी इसी प्रकार का बोर्ड बनाएं । इससे लाभ यह होगा कि आप तब जो मास्टर प्लान तैयार करेंगे उससे न केवल बाढ़ों पर रोक लग सकेगी बल्कि उस पानी से हम सिंचाई भी कर सकते है, बिजली भी बना सकते हैं और बिजली घर भी स्थापित कर सकते हैं । मैं बता चुका हूं और आप जानते भी हैं कि भारत में पानी इतना है बाढ़ों का कि उससे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि एशिया तक में आप चाहें तो बिजली दे सकते हैं । हो सकता है कि यह कुछ बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई हो लेकिन भारत की सब नदियों पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो निश्चित रूप से पूरे एशिया को बिजली हम दे सकते हैं, केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं या पूरे हिन्दुस्तान को ही नहीं ।

आपने कहा है कि अगर कोई झगड़ा होगा इंटर स्टेट तो उसको आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा । यह बिल में भी

भी कहा गया है। धारायें जो दी हुई हैं उनकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो मामला आर्बिट्रेशन में चला जाता है उसको वहां छः सात बरस लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश का गंडक का विवाद आपको मालूम है और उसकी रिपोर्ट हमारे यहां विधान सभा में प्रस्तुत भी हुई थी, उसको आर्बिट्रेशन में आठ नौ साल लग गए थे और तब वह तय हुआ था। अगर आठ नौ साल कोई विवाद चलता रहा और आठ नौ साल के बाद तय हुआ तो इस एक्ट को क्या हैसियत होगी, यह क्या कर पाएगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये। इमर्जेन्सी तो आप लगाते हैं एक मिनट में, देर नहीं लगती है, और हजारों लाखों आदमियों को एक मिनट में जेल में डाल देते हैं। लेकिन जमीन को एक्वायर करने और जमीन के मालिकों को मुआवजा देने का काम आप स्टेट गवर्नमेंटस पर डाल देते हैं, जहां सालों लगेंगे। यह काम बड़े महत्व का है। पूरे भारत का उत्पादन, पूरे भारत की प्रगति इस पर निर्भर है। इस काम को आप जितनी जल्दी हो सके, शुरू कर सकें और जितनी जल्दी हो सके, इसे खत्म कर सकें, इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए, जो इस बिल में दिखाई नहीं देता है।

इस में बहुत टाइम लग जायेगा। स्टेट भूमि का अधिग्रहण करेगी, नोटिस जारी होगा, आबजेक्शन्ज आयेंगे, मुआवजा तय किया जायेगा और मुआवजे के खिलाफ आबजेक्शन्ज होंगे। मंत्री महोदय ठंडे दिमाग से सोचें कि इस काम को किस तरह जल्दी किया जा सकता है। स्टेट्स पर कोई मसला डालने, झगड़ा तय न होने पर आरबिटरेशन में जाने, आरबिटरेशन की अपील होने, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने और उसका डिसिजन होने में कितना समय लगेगा, अगर मंत्री महोदय ने उसका अन्दाजा किया है, तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किया है, तो जहां-जहां आरबिटरेशन्ज हुए हैं, उन स्टेट्स से रिपोर्टस मंगा कर पढ़ लें। औसतन एक आरबिटरेशन पर दस बरस का समय लगेगा।

मुझे आशा है कि हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और बाढ़ के विनाशकारी स्वरूप को कल्याणकारी रूप देने के लिए मंत्री महोदय बहुत जल्द कदम उठायेंगे और बाढ़ के सबजेक्ट को स्टेट्स लिस्ट से हटा कर एक सेंट्रल सबजेक्ट बना कर पूरे हिन्दुस्तान में खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे।

SHRI A. T. PATIL (Kolaba): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to express a few thoughts about this Bill. I would have been happier still had there been a more comprehensive Bill covering the various aspects of water management and utilisation in Brahmaputra valley. On the one hand, it may be argued that there are some constitutional restraints which prohibit the Central Government to take in hand the entire management and utilisation of waters in Brahmaputra valley or any other valley. On the other hand, instances have been cited by some hon. Members on this side, specially the instance of Damodar Valley Corporation Act whereunder the management as well as utilisation of waters have been brought under one authority, namely the Commission.

Now, it may be argued that that was the 1948 Act. The concerned State Governments had passed resolutions urging upon the Central Government to form such a Commission and the entire capital and all other expenses were borne proportionately by the different concerned States. Thereafter this Constitution came into existence and certain restraints had to be put on both the State Gov-

ernments and the Central Government, in respect of their respective functions. Under Entry 17 of the State List, water is primarily a subject of State jurisdiction.

Entry 17 of List II says:

"Water, that is to say, water supplies, irrigation and canal, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I."

Entry 56 of List I says:

"Regulation and development of inter-State river and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

It appears, therefore, that this Bill is being sought to be brought before this House under this entry No. 56. A reference may also be made to Article 262 of the Constitution which gives power to Parliament to make law to provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters or, or in, any inter-State river or river valley. Reference has been made in the statement of Objects and reasons in respect of our friendly relations with Bangladesh and therefore it is presumed that this Bill is sought to be brought under the exercise of power under Article 262 also. I am not going into the nicities of the constitutional provisions conferring the power on the Central Government to take these matters into hand. But, to my mind, it is not difficult to make a comprehensive project or I should say formulate or create a comprehensive body or organisation to control all the aspects of water in a particular valley. Had that been done perhaps the House would have been happier to that extent. But, unfortunately, that could not be done. That does not mean that the measures should have been altogether abandoned. The reason appears to be that the earlier government had undertaken this particular measure and that measure is to be pursued quickly, in view of peculier circumstances prevailing in that area. And therefore I should welcome this particular measure which is absolutely essential at this particular juncture.

In this connection, I may point out a few things about the entire situation especially the natural conditions in this country. We have advanced in science and technology. We have assumed a particular place, say, sixth in order in the galaxy of Nations, I should say, in the development of science and technology. That is what we are proud of. But still to my mind, we cannot forget that our country, our nation is essentially a nature's child—a nature's child in the sense that in spite of our development in science and technology, we are still dependent on nature to a very great extent. We are not yet in a position to overcome natural calamities. The natural calamities are especially in respect of four sectors. (1) The natural calamity of floods with which we are dealing at present. (2) Natural calamity of drought. A large tract in this country meets with drought situation periodically after, say, every three years. Last year, we had a very great drought in the northern Indian States as well as in some parts of southern States also. We have to make a provision for that; and we have to face and fight against this natural calamity. Thus, the second natural calamity is arising out of this drought. The third natural calamity is sea erosion.

MR. CHAIRMAN: Mr. Patil, by four O'clock we have to complete everything.

SHRI A. T. PATIL: Within the shortest possible time I shall finish.

The third natural calamity is sea erosion. It affects the coastal area and especially on the West Coast, right from the coast of Kerala to the coast of Gujarat, (*Interuptions*) Konkan, yes. Maharashtra and all those areas —Kerala, Goa, Maharashtra and Gujarat. This western coast, I should say, has been very much allergic to sea erosion. Great problems, very great problems which we will have to face, we have not faced them as yet completely or I should say, to a sufficient extent.

(4) The fourth calamity is the calamity of cyclone to which the eastern coast is very much prone. The cyclones, cause considerable devastation and loss of property and life.

These four categories of natural calamities, we have to overcome. Just as we are thinking in respect of flood work in the Brahmaputra Valley, we have to think in terms of flood work everywhere else in the country. Similarly, in respect of the other three categories or sectors of natural calamities, we have to plan and see how we can overcome them. Now we have to stand on our own human powers and not depend on nature. We should face natural calamities with success. That is the hope I express and I expect that the government will look into this matter and see that necessary action, necessary measures are taken in respect of these four natural calamities.

One or two more points and then I will conclude. I entertain this Bill and support this Bill for two other reasons. One is that of all the flood hit areas in the country, Brahmaputra Valley is the worst affected, and therefore, deserves the top priority for being dealt with. Therefore, I should congratulate the Government which has taken up this measure. Although it is imperfect still I entertain this Bill and congratulate the government and support it for this reason. For that reason, they have taken into account the top priority for works to restrain the flood havocs that were devastating the entire valley of Brahmaputra.

The second point is rather sensitive point. Still I should make a reference to it which involved the conditions in the north-eastern region. Conditions in the north-eastern region are said to be based on some linguistic dispute, communal or, parochial out looks or something like that. To my mind it is an economic dispute. Kindly excuse me for saying so. People of the northeastern region feel that they have been updotted from their means of living. This Bill gives relief to that particular sentiment and provides for flood protection works and protects agriculture, forest, and other arees where local people are economically interested. Therefore, from that point of view this is a very important Bill at this juncture. Besides, in view of the political situation that has arisen in that region, it is absolutely essential to give a sort of hope to those people that the Central Government is giving attention to their urgent needs. The aggrieved are not those people dealing in industry. For according to them, some other people have interest in industry, whereas, but the local people are depending in land agricultural and forest etc. with the protection of which this Bill is concerned. Thus, local people. agriculturists, peasants, are being taken care of by this particular measure and therefore this will certainly boost the economic conditions of these poor people. By this Bill therefore, their attention may be diverted from this political muddle that has arisen in that area today. With these words, without going into other matters, I conclude and thank you for giving me an opportunity.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Sir, I rise to support the Brahmaputra Board Bill and I congratulate the Minister for Bringing it before the House. While going

through the Bill, I find there are so many lacunae and when I enquired, I was told that this was drafted by the previous Janata Government; it was passed in the Rajya Sabha and now the same Bill has been brought here. I think the hon. Minister will take care of the mistakes pointed out by the various speakers. I would like to point out certain salient features from my experience about the flood damage in Assam. On this Bill, Mr. Somnath Chatterjee has very nicely pointed out some defects. The formation of the Board has been made in such a way; we see in clause 4(iii) (c) that different States have been given representation, each one member. But unfortunately it is Assam which is most affected and Assam should be given more than one representation. In the matter of representation on the board, there are more bureaucrats: one each will represent the Central Water Power Commission. Central Electricity Authority, Geological Survey of India, Indian Meteorological Department, and so on so forth. But the Irrigation department or the PWD or other departments of Assam are not there. Their representation should be there on the board and when the Central Government finalises the shape of the Board, this should be done. Otherwise, whatever experience these bureaucrats may have, they will not get the correct picture about the nature devastation of Bhramayaputra of Assam; there should be more representatives from Assam in this Board.

In the matter of land acquisition, we have seen that for embankment work in Assam, people had handed over land 10 years or 15 years back, but till today they have not got compensation. In this Bill payment of compensation has been shifted on the sholuder of the provincial or State government. It must be changed. Otherwise, this Bill, whatever form it may take, will be a total failure. The people of Assam, the Government of Assam are pressing the Central Government to take the responsibility of harnessing Brahmaputra and implementing various schemes in a proper way. The implementation part cannot be achieved with Rs. 18 crores only. The details should be worked out in the Master Plan.

Brahmaputra in Water resources stand fifth in the world and in the energy resources it is second. You can easily imagine the necessity of planning, which may not cost much but implementation and giving compensation to the people will need crores. Brahmaputra River has been causing harassment to the people of Assam. Every year crops are damaged, villages are washed away. Brahmaputra water can be harnessed in the proper way if the Central Government provides enough fund to the Board. The funds can be used for all purposes such as irrigation, dam, Hydel Project, as well as for compensating to the people affected by it.

I have seen, as is given in this Bill, the Chairman will, from time to time, give his powers to the General Manager of the Board to function. The Chairman of the Board will be the Minister of the Union Cabinet who is a very busy man. I suggest that the Vice Chairman of the Board by this Act or by law should be the Chief Minister of Assam with powers of Chairman. I am suggesting this because we have seen from our experience the North Eastern Council, with Governor as its Chairman, proved a total failure. The position in Assam is serious. There is economic imbalance. So, I request that this particular fact may also be taken into consideration. One of the ex-Chief Ministers of the nine States may also be made a Member. In the North Eastern Council Meeting there was more representation of the bureaucrats than the public leaders and Ministers. The result was that there could be no development work as for some reason or the other the bureaucrats put forward objectives.

I suggest in this Board there should be representation of the Members of Parliament of the North Eastern States. Out of these nine States one or two M.Ps. can be taken. If that is done, I think peoples' feelings will be properly ventilated in the Board Meeting.

I request you that in this Master Plan you must consider one thing. In spite of our repeated requests we have failed to impress the Railway Authorities to have broad gauge line up to Tinsukhia. They have decided to have it up to Gauhati. From Tinsukhia to Gauhati, by way of provision in the Master Plan, we should also try to see if there could be river transport. River communication can be included from Tinsukhia to Gauhati. The outflow of tea, timber, oil can be by river transport. Because of heavy rainfall in various parts of Assam, there are breaches in the roads. It is difficult to maintain roads. River Brahmaputra can be utilised for transportation of goods by steamers at cheaper rates. This Master Plan should also consider the possibilities of forming Master Plan whether this river-road transport system can also be implemented.

It has been laid down—that Master Plan will be implemented, when the Central Government feels. I feel the Central Government will not be very late in implementation. The implementation, I presume, will be very quick and the Master Plan should also be prepared in a time-bound programme. It is our experience if the implementation takes four or five years, it proves a failure. There should be a time bound programme. This Master Plan must be submitted before the Board. It should be implemented within a time limit by the Board through various agencies, so that it could be done quickly. The most important factor which I would like the Minister to take into consideration is that representatives of the Assam State Electricity Board, E & D Department, Irrigation Department, Agricultural Department and P.W.D. of the Assam Government should be there. Otherwise, any scheme drawn up will be a faulty scheme, because a lot of land has to be taken from the people of Assam and compensation has to be paid. From our experience we know that there are certain areas where every year there is flood damage. Even then people are trying to live there. If you try to take that area, temporarily also, they have to be shifted. The Government has to consider all these things. These representatives of the Assam Government should be there to guide the Board about the typical problem of Assam. With these words, I suggest the Bill and I sincerely hope that the implementation will be very quick. The river Brahmaputra has been the cause of sorrow for the people of Assam. Just as the mind of the people of Assam has been reflected in the present agitation. the Brahmaputra river also behaves in the same way. Let us hope that just as the mind of the people of Assam is gradually settling down, the Central Government will regulate the flow of the river Brahmaputra, so that it is harnessed for the good of the people of Assam and of this country. Last but not least, I am thankful to all the members who have participated in the discussion and supported the Bill. At the same time, I hope that when there is a demand for sufficient funds for the Board, members from different States will support the same, so that enough funds may be made available for the Board. A policy of give and take should be followed, because with limited funds, it will not be possible to implement this scheme by the proposed Board.

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : मान्यवर, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस विधेयक में काफी दिलचस्पी ली गई है और जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, वे विचार काफी कीमती है और उन विचारों पर सरकार जरूर विचार करेगी ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में दो, तीन मुख्य बातें हैं, जिन बातों की तरफ सदन का ध्यान जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस देश में हर साल फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हिन्दुस्तान की नदियों में मानसून सीजन में 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है और इसमें से करीब 200 मिलियन एकड़ फीट पानी को ही हम अब तक स्टोर कर सके हैं और बाकी जो पानी है, वह ऐसे ही बह जाता है। इसलिए बाढ़ की विभीषिका इस देश में मुद्दतों से आ रही है। इस वास्ते जो बाक़ी पानी है, उसका स्टोरेज करें, यह पहला सवाल है। जो फ्लड की बात इस देश में है, वह बहुत पुरानी बात है, नेचर की बात है और जब तक हम उस पानी को बांध कर स्टोर नहीं कर सकेंगे, यह परेशानी हमारी बनी रहेगी। मैंने यह भी कहा था कि अमेरिका में जितने हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वहां भी उतने ही हैं लेकिन हम से 5 गुना, 5 टाइम्स, वहां पानी का स्टोरेज हुआ है। अमेरिका बहुत धनी देश है। उस ने अपने देश को बनाया है। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ऐसा कर सकते।

दूसरी बात यह है कि अपने देश के अन्दर जो स्टोरेज हम करना चाहते हैं, उतने स्टोरेज साइट्स नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे देशों में हैं। यह तो एक जनरल बात है। उसी में एक ब्रह्मपुत्र नदी है। जिसकी बाढ़ की विभीषिका मशहूर है। यह इस देश की संभवतः सबसे बड़ी नदी है। इस में पांच हण्ड्रेड मिलियन एकड़ फुट पानी है। अब आप बताइये कि इसको हम किस तरह से चेनेलाइज करें, चलाएं। इसकी बाढ़ की विभीषिका तो है, परेशानी भी है।

1947 की 15 अगस्त को आपको आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद 1951 से प्लान पीरियड शुरू हुआ। उसकी भी एक कहानी है। उसमें बाढ़ों पर भी ध्यान दिया गया, बाढ़ नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन बाढ़ से बचाने की जो कोशिश रही वह पार्शियल रही। हमारे प्रदेश में भी कोसी नदी है। उसके दोनों किनारे पर बांध बांधे गये उसी तरह से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पर भी बांध बांधे गये। उनके किनारे-किनारे बांध बांधे गये। मेन रिवर के किनारे भी बांध बांधे गये। उससे कुछ टाउन प्रोटेक्शन का काम भी हुआ। उसी समय असम गवर्नमेंट ने भी किया। तीन जो आरगेनाइजेशंस बनीं जिनका कि जिक्र भी हुआ है वे 1970 में बनीं। इनमें एक तो ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड पालिसी मेकिंग आरगेनाइजेशन है। ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन अथारिटी है और तीसरी बोर्ड आफ टेक्नीकल कंसलटेंट फार टेक्नीकल एडवाइस है। ये तीनों 1970 में बनी थीं। इन पर 114 करोड़ रुपया खर्च हुआ तब से लेकर अब तक। यह सब असम गवर्नमेंट स्वयं करती थी और दस साल से यह चलता रहा। यह इसकी कहानी है। इस तरह से बाढ़ नियंत्रण करने की कोशिश की जाती थी और इसमें बहुत ही कम काम हुआ।

यह जो बाढ़ प्रोन एरिया है वह 3.11 मिलियन हेक्टेयर यानी 31 लाख हेक्टेयर एरिया है। उसमें से अभी तक 35 परसेंट एरिये में हम रोक सके हैं बाढ़ को। यह पीसमील, एडहाक बेसिस पर होता गया और उसमें 114 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन आज तक कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव विधेयक, या

बिल यहां नहीं आया, कोई कम्प्रीहैंसिव स्कीम नहीं आयी । एडहाक बेसिस पर ही काम होता गया । वहां जो बांध बांधे गये, उनमें ब्रीचिज होते जाते हैं । उनकी मेंटीनेंस पर काफी पैसे खर्च होते हैं । इसलिए भारत सरकार ने इस बिल के बारे में सोचा । यह कोई नया प्रयास नहीं है । जब 1977 के पहले यहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी तो इस बिल की रूपरेखा आलमोस्ट तैयार थी और यह बिल हाउस में आने वाला था लेकिन कांग्रेस की हुकूमत चली गयी । उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत आयी । तब इन लोगों ने भी कहा कि हमें यह काम करना चाहिए । हूबहू वही विधेयक 1978 में जनता पार्टी ने हाउस में पेश किया और 1979 में यह विधेयक एक राय से, युनेनिमसली राज्य सभा से पास हुआ । जो विधेयक आया था उसमें कोमा या फुलिस्टोप तक का भी परिवर्तन नहीं किया गया । इसलिए इस विधेयक के बारे में आज जिस तरह की बातें कही जाती हैं कि यह इससे बढ़िया विधेयक हो सकता था, इसमें बढ़िया रूपरेखा हो सकती थी तो मुझे आश्चर्य होता है । यह विधेयक कांग्रेस की देन है । उसके बाद जनता पार्टी की हुकूमत बनी और वह इसको लायी । एक तरह से यह 1979 में राज्य सभा में पास भी हो गया था । तब तक ये चले गये । इस तरह से 1979 में यह रह गया । यह विधेयक जनता पार्टी के लोग लाये थे और उसकी केबिनेट में जो दो मंत्री थे वे आज जब अपोजिशन में बैठे हैं तो यह कहते हैं कि इस हाउस में कोई नया विधेयक लाया जाता । उन्होंने जो विचार यहां प्रकट किये उनको सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ । ये उस समय बिल लाये और इसे राज्य सभा में एक राय से पारित भी किया गया । हम लोग उस समय अपोजिशन में थे और हम लोगों ने उस समय कहा था कि इसमें जल्दी करो । आज आपकी भाषा में परिवर्तन क्यों हो गया और तब हो गया जबकि आप उधर बैठे हैं ? यह विधेयक वही है । इस से क्या मैं यह न कहूं कि यह राजनीतिक विद्वेष की बात है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक वही है और इसको पास करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए । इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यह पहले हमारी चीज थी और हम लोग चले गये थे । जो आपकी चीज लाई हुई थी, जिस को आपने राज्य सभा में पारित करवाया था और हम लोग अपोजिशन में थे, उसको ही हम यहां ला रहे हैं । सरकार चलाने की बात है, सरकार चलाने की पद्धति है और उसका एक ढंग होता है । हम लोगों ने 1977 तक सरकार चलाई । बीच में आपने अढ़ाई साल तक सरकार चलाई । अब आप अपोजीशन में हैं और हम सरकार में हैं । जिस तरह से हम लोग जब अपोजिशन में थे और जैसे हम लोगों ने जन हित में इसको पास कर दिया था, उसी तरह से आपको भी इसको एक सैकिंड में पास कर देना चाहिये । यह बात आपको भी और हम को भी समझनी चाहिये । इस में कोई अपोजीशन की जरूरत ही नहीं है । फुल स्टाप कामा तक बदला नहीं गया है । पांच मिनट में इसको पारित हो जाना चाहिये । आप लोगों ने राज्य सभा में इस को पास करवाया था । हम लोक सभा से पास करवा करके राज्य सभा मे जितनी जल्दी हो सकेगा, पास करवाने की कोशिश करेंगे । यह विधेयक जितनी जल्दी हो पास होना चाहिये ताकि असम की भलाई वो नार्थईस्टर्न रिजन की भलाई हो। श्री रावीन्द्र वर्मा यहां हैं, श्री फर्नांडीस उपस्थित नहीं हैं । दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे । उनकी कैबिनेट ने इसको

(बी० एल० मल्होत्रा)

पास किया था । इन बातों को उनको याद दिलाने के बाद मैं आशा करता हूं कि उनकी टोन में, उनकी भाषा में तबदीली जरूर आएगी ।

एक भ्रम पैदा हो गया है । तीन तरह की जो इंस्टीट्यूशज बनी थी वे सब इस विधेयक के पास होने के बाद समाप्त हो जाएंगी । वे काम नहीं करेंगी । इस वास्ते माननीय सदस्यों के दिमाग में यह भ्रम नहीं होना चाहिये । इस में कोई एम्बिगुइटी नहीं रहनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए ।

यह विधेयक किस लिए है ? ब्रह्मपुत्र नदी के जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनका समुचित रूप से मल्टीपरपज डिवेलेपमेंट करना है, उन से बिजली पैदा करेंगे. डैम बनाएंगे, नहरें निकालेंगे, सिचाई के लिए पानी देंगे । कंजर्वेशन आफ सायल का भी काम करेंगे । मास्टर प्लान इसी के लिए बनाएंगे । इस बोर्ड के 21 मेम्बर रहेंगे । उस रिजन की जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रिजेंटेटिव होंगे, स्टेट्स जो भेजेंगी उसको हम लोग मानेंगे, हर तरह की टैक्निकल एडवाइस देने वाले लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग उस में रहेंगे । एक माननीय सदस्य ने एंटरी 17 और एंटरी 56, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आर्टिकल 262 का हवाला दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कांस्टीट्यूशनल पोजीशन है उसी के अन्दर यह बिल लाया गया है । यह बिल इस तरह का अपनी टाइप का पहला है । इसकी जरूरत थी । और भी बिल आगे आ सकते हैं । लेकिन ब्रह्मपुत्र की बात है । इसको करना है । यह भी हम जानते हैं कि सब काम हम करेंगे सिंचाई चाहिये, बिजली चाहिये । आप अंदाजा लगाएं । ब्रह्मपुत्र में अगर बिजली बने तो 25 मिलियन किलोवाट बिजली तैयार होगी । भारत में आज तीस मिलियन किलोवाट बिजली तैयार करने की कपेसिटी है । ब्रह्मपुत्र नदी से हाइड्रो पावर जो जनरेट हम करेंगे वह 25 मिलियन किलोवाट होगी यानी ए लिट्ल लैस देन होल आफ दी कंट्री । आप समझ ही सकते हैं कि यह कितनी बड़ी दौलत है । यह नदी विर्जिन नदी है । ए ड्राप आफ वाटर इसका कहीं यूज हुआ है आज तक । फ्लड से लोग परेशान थे । फ्लड से उनकी रक्षा हो तब आगे के डिवेलेपमेंट की बात सोची जा सकती है । कोसी के बारे में भी यही बात थी । पहले वहीं बाढ़ से रक्षा हो तब आगे विकास का काम हो । इस में हर तरह के एसपेक्ट हैं । यह कंट्रोवर्शल बिल एक दम नहीं है । इस में और भी सुधार हो सकता है । उसके बारे में आगे सोचा जा सकता है । लेकिन अभी जो आपका बिल था उस के कामा फुलस्टाप में भी कोई चेंज हम ने नहीं किया है । इसलिए आज जो विधेयक है और जिस रूप में वह है इसको आप को इसी रूप में पास कर देना चाहिए ।

कुछ एमेंडमेंट्स भी आई हैं । जब उनको लिया जाएगा तब मैं उनका जवाब दूंगा । एक एमेंडमेंट यह है कि वैली डिवेलपमेंट शब्द इसमें जोड़े जाए । यह विधेयक केवल वाटर रीसोर्सिस के डेवेलपमेंट के बारे में है, जिसके अन्तर्गत बिजली का जेनेरेशन, सिचाई और बाढ़ से रक्षा भी आती है । इसके अलावा बाकी डेवेलपमेंट के लिए—एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट, एजूकेशनल डेवेलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट आदि—, आल-राउंड डेवेलपमेंट या सब तरह के विकास के लिए, 1971 में एक कानून पास हुआ था, जिसके अनुसार नार्थ-ईस्टर्न रिजन कौंसिल की स्थापना की गई थी । उस कौंसिल

में वहां की हर एक स्टेट रिप्रेजेन्टेटिड है । उसमें काफी पैसे ख़र्च होते हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से करोड़ों रुपये दिये जाते हैं ।

जहां तक लैंड काम्पेन्सेशन का सम्बन्ध है, इस विधेयक में दो प्राविजन्ज हैं । जो डेम सब स्टेट्स के इन्ट्रेस्ट को सर्व करेगा, उसकी जमीन का दाम बोर्ड देगा । लेकिन जो केवल एक ही स्टेट के लिए बनेगा, उस स्टेट को फ्री लैंड देनी पड़ेगी । इस बारे में भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । श्री जार्ज फ़र्नान्डीस ने इसका ज़िक्र किया है । जिस पार्टिकुलर स्टेट में डैम बनेगा—उस स्टेट की बेहतरी के लिए, वह जमीन स्टेट द्वारा फ्री दी जायेगी और जिस डैम से कई स्टेट्स सर्व होंगी, उसके दाम सेंट्रल गवनमेंट देगी इस बारे में कोई कान्ट्रोवर्सी नहीं है । वह तो स्टार्म इन दि टी-कप है ।

यह इतना लाभदायक विधेयक है कि इस बारे में किसी कान्ट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है । एक बार यह बिल राज्य सभा में पास हो गया था, लेकिन टेक्निकल वजह से आगे नहीं बढ़ सका । इसमें इतना समय लगाने की क्या ज़रूरत है? सब चाहते हैं कि बाढ़ से बचाव किया जाये । हम जानते हैं कि भारत एक ग़रीब देश है, जहां 50 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं । उस ग़रीब देश के प्रतिनिधि हम यहां बैठे हैं । हम यह भी जानते हैं कि भारत का सब से पिछड़ा हुआ इलाका उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है । इसमें कोई शक नहीं है कि वहां काफ़ी संख्या में लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं—वे 70, 75 या 80 परसेंट से कम नहीं हैं । बिहार में 76 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं । इससे भी गई-गुज़री हालत नार्थ-ईस्टन रिजन की है । हम सब लोगों की हमदर्दी वहां के लोगों के साथ है । वहां की ग़रीबी दूर करना जरूरी है । ग़रीबी तब दूर होगी, जब डेवेलपमेंट होगा । लेकिन डेवेलपमेंट से पहले बाढ़ से सुरक्षा करना ज़रूरी है । जैसा कि मैं ने कहा है, उस क्षेत्र के आल-राउंड डेवेलपमेंट के लिए नार्थ-ईस्टर्न रिजन कौंसिल है ।

15.48 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*).

बहुत से पायंट्स हैं, लेकिन समय बहुत कम है और 4 बजे के बाद दूसरा काम शुरू होगा । मैं चाहता हूं कि श्री रवीन्द्र वर्मा इस बारे में हमारी मदद करें और इस विधेयक को जल्दी पास करायें । मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को एक-राय से पास किया जाये ।

MR. SPEAKER: Shri Shamanna, are you pressing your amendment?

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I am not pressing my amendment.

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri T. R. Shamanna be withdrawn?

HON. MEMBERS: Yes.

The Amendment was, by leave withdrawn

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the planning and integrated, implementation of measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now we shall take up the Clause by Clause consideration.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 30 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KEDAR PANDEY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed".

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, यह ऐसा विधेयक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता लेकिन इसका सहारा लेकर मैं यह निवेदन करूंगा, पांडे जी से, कि जो विधेयक आपने यहां पेश किया है इसको तो क्रियान्वित जरूर करवाइये । परन्तु पूरे हिन्दुस्तान में बाढ़ और कटाव के दो बड़े भयानक सवाल हैं । मेरा निवेदन होगा कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि पूरे देश के पैमाने पर इन दो समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए । इसके लिए उपाय होना चाहिए । मैं जानता हूं क्योंकि हमारे राज्य में भी भयानक बाढ़ आती है और नदियों से कटाव होता है । अभी उत्तर प्रदेश भयंकर बाढ़ से होकर गुजर रहा है । और भी कई राज्य इसकी चपेट में पड़ चुके हैं और आगे भी खतरा है, आगे भी अभी बाढ़ आ सकती है । पांडे जी को मालूम है कि 1975 में 23 सितम्बर को पटना शहर भी डूब गया था, बाढ़ की वजह से, इसलिए बाढ़ का खतरा अभी भी है और हर साल बाढ़ का खतरा आता है । इसलिए एक सामयिक विधेयक, तमाम बातों को शामिल करते हुए, लाया जाना चाहिए जिसमें बाढ़ को कैसे रोका जाए, कटाव को कैसे रोका जाए, इसकी व्यवस्था रहे तथा भारत सरकार इसकी जवाबदेही को अपने ऊपर ले । अगर इसको राज्यों पर छोड़ दिया गया तो राज्यों के साधन सीमित हैं, उनके बस की यह बात नहीं है । इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दीजिए आप राज्यों से सहयोग जरूर लीजिए लेकिन उन पर निर्भर मत रहिए वरना बाढ़ और कटाव की समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा । आपके द्वारा मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.58 hrs.

MOTION *RE*: CONDUCT OF MINISTER OF ENERGY AND COAL

MR. SPEAKER: Before item No. 15 is taken up, I may inform the House that Shri Jyotirmoy Bose intimated to me late last evening that, under rule 353, he would be bringing several allegations against a number of officers and outsiders besides the Minister of Coal and Energy.

It is well recognised that allegations may not normally be made against officials by name as the constitutional responsibility lies with the Minister. Where however a member is convinced, after making enquiries, that there is basis for the allegation